



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2017/1206

भोपाल, दिनांक 09.08.2017

अधिसूचना

माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 26 (2) के अन्तर्गत गठित विश्वविद्यालय के सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय विद्या परिषद में महापरिषद के अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन किया गया है।

1. धारा 26 (2) ख

1. श्री कृष्ण कुमार अस्थाना, संपादक देवपुत्र, इन्दौर
2. श्री महेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, भोपाल
3. श्री राहुल देव, वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली

2. धारा 26 (2) ज

1. श्री अतुल तारे, समूह संपादक, स्वदेश, ग्वालियर

3. धारा 26 (2) ज

1. श्री राधेश्याम शर्मा, पूर्व महानिदेशक मा.च.रा.प.स. विश्वविद्यालय, भोपाल

सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

विद्या परिषद की शेष संरचना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रहेगी।

(लाजपत आहूजा)
कुलाधिसचिव

पृ.क्र./अका./2017/1207

भोपाल, दिनांक 09.08.2017

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मुख्यमंत्री को सूचनार्थ।
2. निज सचिव मा. जनसम्पर्क मंत्री म.प्र. शासन को सूचनार्थ।
3. निज सचिव, सचिव जनसम्पर्क म.प्र. शासन को सूचनार्थ।
4. संबंधित माननीय सदस्य सर्वश्री को सूचनार्थ।
5. निज सचिव कुलपति, निज सहायक कुलाधिसचिव/कुलसचिव को सूचनार्थ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/परिसर प्रभारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
7. निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्थान को सूचनार्थ।
8. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
10. वेबसाइट प्रभारी को वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
11. आदेश पुस्तिका।

(लाजपत आहूजा) 9.8.17

कुलाधिसचिव